



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5088]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2018/पौष 5, 1940

No. 5088]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2018/PAUSHA 5, 1940

गृह मंत्रालय

(महारजिस्ट्रार कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6329(अ).—केन्द्रीय सरकार ने नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचानपत्रों का जारी किया जाना) नियम, 2003 बनाए थे जिसमें नियम 4क का उपनियम (3) उपबंध करता है कि नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार राजपत्र में प्रगणन की अवधि और उसकी कालावधि अधिसूचित करेगा;

और, केन्द्रीय सरकार ने असम राज्य में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 1951 अद्यतन करने का विनिश्चय किया है;

और, नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ.3591(अ) तारीख 6 दिसंबर, 2013 द्वारा अधिसूचित किया था कि असम राज्य के संबंध में प्रगणन उस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से होगा और तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा;

और, उक्त अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3591(अ) तारीख 6 दिसंबर, 2013 को अधिकांत करते हुए नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 119(अ) तारीख 12 जनवरी, 2017 द्वारा अधिसूचित किया कि असम राज्य के संबंध में प्रगणन 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा और उक्त तारीख अधिसूचना संख्यांक का.आ. 991(अ) तारीख 29 मार्च, 2017 द्वारा 31 दिसंबर, 2017 तक बढ़ा दी गई थी जो कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3935(अ) तारीख 19 दिसंबर, 2017 द्वारा 31 मई, 2018 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी गई थी और उक्त तारीख अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2092(अ) तारीख 24 मई, 2018 द्वारा 31 जुलाई, 2018 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी गई थी और उक्त तारीख पुनः अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3715(अ) तारीख 30 जुलाई, 2018 द्वारा 31 दिसंबर, 2018 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी गई थी;

और, असम राज्य में उक्त प्रगणन उक्त अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका है;

और, केन्द्रीय सरकार ने लोक हित में यह आवश्यक और समीचीन समझा है कि वह नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर 1951 अद्यतन करने संबंधित उक्त प्रगणन 30 जून, 2019 तक पूरा करे;

अतः, अब, नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचानपत्रों का जारी किया जाना) नियम, 2003 के नियम 4क के उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसरण में तथा अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3715(अ) तारीख 30 जुलाई, 2018 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागरिक रजिस्ट्रीकरण का महारजिस्ट्रार अधिसूचित करता है कि असम राज्य के संबंध में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर 1951 अद्यतन करने से संबंधित प्रगणन 30 जून, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 9/5/2009-सीआरडी (एनपीआर)-भाग-V/सी.एन.-6375/7]

शैलेश, नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2018

S.O. 6329(E).—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government made the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, which provides under sub-rule (3) of rule 4A that the Registrar General of Citizen Registration shall notify the period and duration of the enumeration in the Official Gazette;

AND WHEREAS, the Central Government decided to update the National Register of Citizens, 1951 in the State of Assam;

AND WHEREAS, the Registrar General of Citizen Registration has, *vide* notification number S.O. 3591(E), dated the 6th December, 2013 notified that the enumeration in respect of the State of Assam shall take place from the date of publication of that notification and be completed within a period of three years;

AND WHEREAS, in supersession of the said notification number S.O. 3591(E), dated the 6th December, 2013, the Registrar General of Citizen Registration *vide* notification number S.O. 119(E), dated the 12th January, 2017, notified that the enumeration in respect of the State of Assam shall be completed within the period ending on the 31st day of March, 2017; and the said date was extended for a period upto the 31st day of December, 2017 *vide* notification number S.O. 991(E), dated the 29th March, 2017; which was further extended for a period upto the 31st May, 2018 *vide* notification number S.O. 3935(E), dated the 19th December, 2017; and the said date was again further extended for a period upto the 31st July, 2018 *vide* notification number S.O. 2092(E), dated the 24th May, 2018; and the said date was again further extended for a period upto the 31st December, 2018 *vide* notification number S.O. 3715(E), dated the 30th July, 2018.

AND WHEREAS, the said enumeration in the State of Assam could not be completed within the period specified in the said notifications;

AND WHEREAS, the Central Government has considered it necessary and expedient in the public interest to complete the said enumeration in connection with the updation of the National Register of Citizens, 1951 by the 30th day of June, 2019;

NOW, THEREFORE, pursuant to the provisions of sub-rule (3) of rule 4A of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003 and in supersession of the notification number S.O.3715(E), dated the 30th July, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Registrar General of Citizen Registration, hereby, notifies that the enumeration in connection with the updation of the National Register of Citizens, 1951, in respect of the State of Assam shall be completed within the period ending on the 30th day of June, 2019.

[F. No. 9/5/2009-CRD (NPR)-Vol.V/CN-6375/7]

SAILESH, Registrar General of Citizen Registration